

आशुभ

पत्रावली पेशावरी वकील आषी अनुपरिष्कृत हैं।
 आषी गण स्वयं भी अनुपरिष्कृत हैं। बनकी और से
 कोई वकील भी उपरिष्कृत नहीं है। बार-बार आवृत्ति
 लागवाइ गई। परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी
 उपरिष्कृत नहीं है। अतः राजस्व आर्जन पत्र
 अहम हाजरी - अहम पैरवी में खारिज किया
 जाता है। पत्रावली फौजल शुमार है। नम्बर से
 कम घेकर दायित्व दफ्तर है।

(५)

उपखण्ड अधिकारी

भिनाय (केकड़ी)